

अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
विवेक कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेवर
किरम मुकदमा अपील RTI नम्बर ...71... सन् 2023

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

तारीख हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज

03.11.2023

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट विवेक कुमार लुधवाडा मोड, मथुरा रोड, भरतपुर (राज0) की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेवर, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।

अपील का अवलोकन किया गया। अपील के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेवर, भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को आर.टी.आई. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

चूंकि आर.टी.आई. के तहत खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेवर, भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रधान, पंचायत समिति सेवर का है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस कर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील प्रधान, पंचायत समिति सेवर के यहाँ प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।


जिला कलक्टर
भरतपुर